


कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

30 जून 2018 को समाप्त तिमाही



विदेश ऋण



नवीकरणीय



54ईसी बॉण्ड

उज्ज्वल भविष्य के लिए निधीयन....

विषय-सूची

1. विशेषताएं

2. इंड एस पारगमन (ट्रांजिशन)

क) परिचय

ख) प्रभाव के मुख्य क्षेत्र

ग) आईजीएपी की तरफ से पीएफ़सी के लिए मुख्य

बदलाव

घ) आरबीआई की तरफ से पीएफ़सी के लिए मुख्य बदलाव

इ) ईसीएल कार्य-प्रणाली- मुख्य संकल्पनाएं

3. अर्जन संबंधी अपडेट

4. परिसंपत्ति गुणवत्ता

5. प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

6. शेयरधारकों का दृष्टिकोण



1. विशेषताएं

विशेषताएं

मुख्य उपलब्धियां

- 1 01.04.2018 से इंड एस लागू
- 2 सरकारी क्षेत्र में चरण III परिसंपत्तियां (एनपीए) नहीं
- 3 निवल चरण III परिसंपत्तियां (एनपीए) चौथी तिमाही 2018 की आईजीएपी के अनुसार पिछले घोषित 7.39% से पहली तिमाही 2019 में 4.53% तक गिरे
- 4 विवेक के तौर पर, आरबीआई विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार चरण I एवं चरण II परिसंपत्तियों पर 1,793 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान
- 5 इस वित्तीय वर्ष में 600 मिलियन यूएस डॉलर विदेशी मुद्रा ऋण जुटाए गए
- 6 जून 2017 से पीएफ़सी के साथ 54ईसी बॉण्ड अनिवार्य

स्नैपशॉट- 30 जून 2018 तक

	(₹ करोड़ में)
इंड एस पर आधारित	30.06.2018 तक
पीएटी	1,373
ब्याज आय	6,617
ब्याज व्यय	4,624
निवल ब्याज आय	1,993
अर्जक परिसंपत्तियों पर निवल ब्याज मार्जिन	3.26%
निधियों की लागत	8.08%
अर्जक परिसंपत्तियों पर ब्याज स्प्रेड	2.49%
सकल ऋण परिसंपत्तियां	2,84,848
प्रावधान	17,238
निवल ऋण परिसंपत्तियां	2,67,610
चरण III परिसंपत्तियां – सरकारी क्षेत्र	शून्य
चरण III परिसंपत्तियां – निजी क्षेत्र	27,384
चरण III परिसंपत्तियां – सकल ऋण परिसंपत्तियों का प्रतिशत	9.61%
निवल चरण III परिसंपत्तियां – सकल ऋण परिसंपत्तियों का प्रतिशत	4.53%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	17.71%
जिसका टियर I	14.66%
जिसका टियर II	3.05%

विशेषताएं

सरकारी एनबीएफसी को आरबीआई विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने की छूट को वापस लेने के दिनांक 31 मई 2018 के आरबीआई परिपत्र का पीएफसी पर कोई मुख्य प्रभाव नहीं



दिनांक 31 मई 2018 का आरबीआई परिपत्र

- ▷ दिनांक 31 मई 2018 को आरबीआई ने सरकारी एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने की छूट को वापस लिया
- ▷ विवेकपूर्ण मानदंडों के प्रमुख पहलुओं का निम्नानुसार पालन किया जाना चाहिए:
 - सीआरएआर -15%. टियर I -10%.
 - क्रेडिट एकाग्रता मानदंड- आरबीआई द्वारा विशिष्ट अनुमोदन के अनुसार सरकारी एनबीएफसी के लिए
 - 31.03.2019 तक धारा 45 आईसी रिजर्व फंड का सृजन करना



आरबीआई परिपत्र का पीएफसी पर कोई मुख्य प्रभाव नहीं

- ▷ आरबीआई के विशिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पीएफसी ने 1 अप्रैल 2016 से आरबीआई विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू कर दिया है
- ▷ पीएफसी पर प्रभाव
 - सीआरएआर – एनबीएफसी-आईएफसी होने के कारण पहले से ही अनुपालन कर रहे हैं। कोई प्रभाव नहीं।
 - क्रेडिट एकाग्रता मानदंड – पीएफसी को इन मानदंडों को लागू करने के लिए विशिष्ट आरबीआई छूट। अतः कोई प्रभाव नहीं।
 - धारा 45 आईसी रिजर्व फंड – पीएफसी ने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी है। पहली तिमाही 19 में 275 करोड़ रुपए सृजित किए

1एनबीएफसी लाभ और हानि खाते में बताए गए अनुसार और किसी भी लाभांश को घोषित करने से पहले रिजर्व फंड को प्रतिवर्ष अपने निवल लाभ का 20% रिजर्व फंड हस्तांतरित करेगा।

2.

इंड एएस पारगमन (ट्रांजिशन)

इंड एस पारगमन (ट्रांजिशन) – परिचय

दिनांक 01.04.2018 से इंड एस लागू

पीएफसी ने 1 अप्रैल 2018 से भारतीय लेखा मानक (इंड एस) को अपनाया है

- ▷ पहली तिमाही '19 के परिणाम इंड एस के अनुसार दिए गए हैं
- ▷ पिछले वर्ष की पहली तिमाही '18 के आंकड़े इंड एस के अनुसार उन्हें तुलनीय बनाने के लिए दोहराए गए हैं
- ▷ इंड एस में पारगमन (ट्रांजिशन) की तारीख 1 अप्रैल 2017 है
- ▷ 1 अप्रैल 2017 तक नेट वर्थ इंड एस के अनुसार समायोजित की गई है
- ▷ इस प्रस्तुति में दिए गए आंकड़े और अनुपात इंड एस के अनुसार हैं

डिस्क्लेमर: भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा नियमक निकायों से नए मानदंडों की शुरुआत या उसके स्पष्टीकरण, दिशानिर्देशों या परिपत्रों की प्राप्ति के कारण अपेक्षित किए जाने वाले समायोजनों के परिणामस्वरूप इंड एस वित्तीय परिणामों और अतिरिक्त प्रकटीकरण डिस्कलोजर को अद्यतन, परिवर्तित या संशोधित किए जाने की संभावना है।

इंड एएस पारगमन (ट्रांजिशन) – प्रभाव के प्रमुख क्षेत्र

1 प्रत्याशित ऋण हानि

- ▶ **30 जून 2018 तक कुल ऋण पोर्टफोलियो पर 17,238 करोड़ रुपए का प्रावधान**
 - इंड एएस के अनुसार 15,445 करोड़ रुपए
 - आरबीआई विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए 1,793 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान।

2 नेट वर्थ

- ▶ **31 मार्च 2018 तक इंड एएस का नेट वर्थ पर प्रभाव**
 - दिनांक 31 मार्च 2018 को 39,861 करोड़ रुपए के पिछले आईजीएपी नेट वर्थ के मुकाबले इंड एएस नेट वर्थ 36,841 करोड़ रुपए है

3 पीएटी

- ▶ **इंड एएस अपनाने पर पहली तिमाही'18 और पहली तिमाही'19 के लिए तुलनात्मक पीएटी**
 - पहली तिमाही'18 में इंड एएस के अनुसार पीएटी - 1,122 करोड़ रुपए
 - पहली तिमाही'19 में इंड एएस के अनुसार पीएटी - 1,373 करोड़ रुपए

4 चरण III परिसंपत्ति पर आय

- ▶ **चरण III परिसंपत्ति पर आय केवल तभी मान्य है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि की तुलना में अधिक हो**
 - पहली तिमाही'19 में चरण III परिसंपत्तियों पर कोई आय मान्य नहीं क्योंकि किसी भी मामले में प्रत्याशित वसूली ऋण बकाया राशि से अधिक नहीं है।

इंड एस पारगमन (ट्रान्जिशन)– आईजीएपीएपी की तरफ से पीएफसी के लिए मुख्य बदलाव

मुख्य मद्दे

आईजीएपीएपी

इंड एस

1	शुल्क आय एवं शुल्क व्यय	निर्धारित अपफ्रंट	प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) आधार पर परिशोधित
2	ब्याज आय एवं ब्याज व्यय	उधार दर/ ऋण दर पर रिकॉर्ड किया गया	प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर रिकॉर्ड किया गया क्रेडिट हासिल ऋण परिसंपत्तियों पर आय केवल तभी मान्य होती है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।
3	प्रावधान	आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट	प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल
4	विदेशी ऋणों पर विनिमय लाभ/ हानि	विनिमय लाभ/हानि एफसीएमआईटी के माध्यम से परिशोधित है	01.04.2018 के बाद पी एवं एल में मान्यता प्राप्त मांग के लिए विनिमय लाभ / हानि 01.04.2018 से पूर्व मांग एफसीएमआईटी के माध्यम से परिशोधित की जा रही है।

इंड एस पारगमन (ट्रान्जिशन) – आईजीएपीएपी की तरफ से पीएफसी के लिए मुख्य बदलाव

मुख्य मर्दे

आईजीएपी

इंड एस

5 व्युत्पन्न

एस 11 द्वारा शामिल व्युत्पन्न - प्रीमियम परिशोधित

दिशा-निर्देश नोट द्वारा शामिल व्युत्पन्न उचित मूल्य परिवर्तन पी एंड एल में मान्यता प्राप्त

सभी व्युत्पन्न – उचित मूल्य बदलाव पी एवं एल में मान्य हैं

6 निवेश

श्रेणी वार उचित मूल्यांकन

पी एवं एल में केवल उचित मूल्य गिरावट मान्य है। उचित मूल्य लाभ माना नहीं जाता।

स्क्रिप वार उचित मूल्यांकन

उचित मूल्य लाभ और हानि दोनों पी एवं एल अथवा ओसीआई यथालागू के माध्यम से मान्यता प्राप्त है।

इंड एस पारगमन (ट्रांजिशन) – आरबीआई की तरफ से पीएफ़सी के लिए मुख्य बदलाव

मुख्य मद्दे

आरबीआई

इंड एस

1

परिसंपत्ति वर्गीकरण

▷ मानक परिसंपत्ति

- मूलधन के पुनर्भुगतान अथवा ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं मानी जाती और व्यापार से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक नहीं होता है।

▷ पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति

- पुनर्गठित खाता वह होता है जहां एनबीएफ़सी ऋणकर्ता को आर्थिक अथवा विधिक कारणों से छूट प्रदान करता है जिस पर एनबीएफ़सी अन्यथा विचार नहीं करता। आरबीआई कुछ शर्तों को निर्दिष्ट करती है जिसके आधार पर ऋण को पुनर्गठित श्रेणी जैसे डीसीसीओ एक्सटेंशन इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है।

○ गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)

- परिसंपत्तियां तीन माह अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय रहती हैं।

▷ चरण I – निष्पादित परिसंपत्ति

- चरण I में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्तियां- जहां भुगतान अतिदेय 30 दिन से अधिक है।

▷ चरण II – अल्प निष्पादित परिसंपत्ति

- चरण II में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्तियां- जहां भुगतान अतिदेय 30 दिन से अधिक परंतु 90 दिन से कम है।

टिप्पणी: आरबीआई मानदंडों के अंतर्गत पुनर्गठित मानक के रूप में वर्गीकृत लेगसी परिसंपत्तियों को चरण II में शामिल किया गया है।

▷ चरण III – गैर-निष्पादित परिसंपत्ति

- चरण III में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्तियां – जहां भुगतान अतिदेय 90 दिन से ज्यादा है।

इंड एस पारगमन (ट्रांजिशन) – आरबीआई की तरफ से पीएफसी के लिए मुख्य बदलाव

मुख्य मर्दे

आरबीआई

इंड एस

2 प्रावधान

▷ नियम आधारित प्रावधान

- मानक, पुनर्गठित मानक एवं एनपीए परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान प्रतिशतता।
- प्रावधान की गणना बकाया मूलधन राशि पर की जाएगी।

▷ आरबीआई प्रावधान प्रतिशतता

- मानक परिसंपत्ति - 0.40%
- पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति - 5%
- गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) -
 - 10% से लेकर 50% तक
 - संदिग्ध परिसंपत्ति के अप्राप्य मूल्य पर 100% प्रावधान।

▷ ईसीएल मॉडल के प्रावधान¹

- इंड एस के अंतर्गत कोई विशिष्ट प्रावधान प्रतिशतता निर्धारित नहीं है।
- प्रावधान की गणना प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल के माध्यम से की जाएगी।
- प्रावधान की गणना 'चूक (डिफॉल्ट) पर एक्सपोजर' पर की जाएगी।

▷ इंड एस के अंतर्गत चरण-वार ईसीएल मान्यता (रिकग्नीशन)

- चरण I – 12 महीने प्रत्याशित ऋण हानियों की पहचान की जाती हैं।
- चरण II एवं III - आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की पहचान की जाएगी।

▷ अतिरिक्त प्रावधान

- चरण I, II एवं चरण III परिसंपत्तियों के लिए, पीएफसी ने प्रावधान बनाए रखा है जो अर्थात आरबीआई मानदंडों के अनुसार प्रावधान या ईसीएल प्रयोग करते हुए प्रावधान से उच्च है।

¹ प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल (ईसीएल की मुख्य संकल्पनाओं का विवरण स्लाइड नं. 13 में है)

ईसीएल कार्य-प्रणाली- मुख्य संकल्पनाएं (1/2)

ईसीएल क्या है?

▷ ईसीएल एक प्रगतिशील मॉडल है जिसके लिए हानि (लॉस) होने वाली हो तो उत्प्रेरक (ट्रिगर) घटनाओं या वर्तमान नियम आधारित प्रावधान मानदंडों की अपेक्षा ऋण प्रारंभ करने के समय से ही प्रत्याशित ऋण हानि (लॉस) के लिए प्रावधान शुरू करने की जरूरत है।

▷ ईसीएल की गणना के लिए, इंड एस प्रारंभिक मान्यता (रिकग्नीशन) से ऋण (क्रेडिट) गुणवत्ता में परिवर्तनों के आधार पर क्षति के लिए 'तीन चरण' मॉडल की रूपरेखा तैयार करता है।

▷ ईसीएल की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को चरण-वार इस प्रकार की जाएगी :

चूक (डिफॉल्ट) की संभावना X चूक (डिफॉल्ट) के परिणामस्वरूप हुई हानि X चूक पर डिफॉल्ट

पीडी

इस संभावना का अनुमान कि ऋणकर्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के दौरान अपने ऋण दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहेगा।

इसका उद्देश्य प्रत्येक अवधि में ऋण के निष्पादन की प्रवृत्ति तक पहुंचना है।

एलजीडी

यह दिए गए लेन-देन से हुई हानि का अनुमान है कि चूक (डिफॉल्ट) होती है।

सभी समयावधियों के लिए एलजीडी अपेक्षित है जोकि ऋण के आजीवन सीमा (होराइजन) के भाग हैं।

ईएडी के % के रूप में अभिव्यक्त

ईएडी

यह एक वर्ष में चूक (डिफॉल्ट) के कारण राशि में गिरावट/कमी का सर्वोत्तम आकलन है।

ईएडी में बकाया मूलधन, अप्राप्त उपार्जित ब्याज¹ और अन्य उपार्जन शामिल हैं।

¹चरण III परिसंपत्तियों के लिए आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।

ईसीएल कार्य-प्रणाली- मुख्य संकल्पनाएं (2/2)

ईसीएल की गणना के लिए चरण

3 Stage expected credit loss model



3. अर्जन संबंधी अपडेट

अर्जन संबंधी अपडेट

राजस्व एवं लाभ वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 19	तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 18
ब्याज आय	6,617	6,745
ब्याज व्यय	4,624	4,140
निवल ब्याज आय	1,993	2,605
कर पश्चात लाभ	1,373	1,122
अन्य व्यापक आय	(150)	(84)
संचयी प्रावधान	17,238	15,934
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित राशि	3,447	3,127

आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पुनःसमूहित (रीग्रुप) / पुनःवर्गीकृत किया जाता है। इसलिए कुल आंकड़ें रिपोर्टेड आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

अर्जन संबंधी अपडेट

मुख्य अनुपात


	तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 19	तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 18
अर्जक परिसंपत्तियों पर आय (यील्ड)	10.57%	11.21%
निधियों की लागत	8.08%	8.32%
अर्जक परिसंपत्तियों पर ब्याज स्प्रेड	2.49%	2.89%
अर्जक परिसंपत्तियों पर निवल ब्याज मार्जिन	3.26%	4.17%
नेटवर्थ (शेयर पूंजी + सभी आरक्षित राशियां)	₹ 37,571 करोड़	₹ 36,440 करोड़
औसत नेटवर्थ पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	14.76%	12.51%
औसत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	1.98%	1.80%
ईपीएस	₹ 20.81	₹ 17.01
प्रति शेयर बही मूल्य	₹ 142	₹ 138

अनुपात वार्षिक और दैनिक औसत के आधार पर हैं और इसमें विनिमय/हानि लाभ शामिल नहीं हैं और समाप्त कर दिया गया है।

4. परिसंपत्ति गुणवत्ता

परिसंपत्ति गुणवत्ता स्नैपशॉट – कुल पोर्टफोलियो

30.06.2018 तक ₹2,84,848 करोड़ की ऋण बही



89% परिसंपत्तियां नियमित रूप से ऋण चुका रहीं हैं और किसी दबाव की परिकल्पना नहीं की गई है।

प्रावधान संबंधी स्नैपशॉट – कुल पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)


30.06.2018 तक की स्थिति

	चरण I	चरण II	चरण III	चरण III (एनपीए) कुल ऋण परिसंपत्तियों के % के रूप में	कुल
बकाया ऋण परिसंपत्तियां					
सरकारी क्षेत्र	2,12,253	20,913	-	शून्य	2,33,166
निजी क्षेत्र	20,865	3,434	27,384	9.61%	51,683
कुल बकाया राशि	2,33,177	24,347	27,384	9.61%	2,84,848
कुल प्रावधान राशि	2,177	570	14,491	-	17,238
निवल परिसंपत्तियां	2,30,940	23,777	12,893	4.53%	2,67,610

निजी क्षेत्र की चरण III परिसंपत्तियां (एनपीए) के निमित्त 53% प्रावधान

परिसंपत्ति गुणावत्ता स्नैपशॉट – निजी क्षेत्र (1/2)


₹5,314 करोड़ की पांच परियोजनाओं में न्यूनतम कटौती (हेयरकट) के साथ पुनर्जीवन परिकल्पित



*₹ 3,434 करोड़ की परियोजनाएं चरण II में हैं और ₹ 1,880 करोड़ की शेष परियोजनाएं चरण III में हैं।

परिसंपत्ति गुणावत्ता स्नैपशॉट – निजी क्षेत्र (2/2)

₹ 25,504 करोड़ की दबावग्रस्त परियोजनाएं



उपलब्ध प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	30.06.2018 की स्थिति के अनुसार
दबावग्रस्त चरण III परिसंपत्तियों पर प्रावधान	13,745
अतिरिक्त प्रावधान बफर	
चरण I परिसंपत्तियों पर प्रावधान	2,177
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित राशि	3,447
धारा 45 आईसी आरक्षित राशि	275
कुल योग	19,644

₹ 25,504 करोड़ की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के मुक़ाबले उपलब्ध 77% प्रावधान/आरक्षित राशि (₹ 19,644 करोड़)

आज तक की तारीख तक स्थिति अपडेट – दबावग्रस्त परिसंपत्तियां (1/2)

1

सात परियोजनाएं जिनमें समाधान प्रक्रिया जारी है

(जीएमआर छत्तीसगढ़, केएसके महानदी, झाबुआ पावर, इंडियाबुल्स अमरावती, एस्सार महान, रतन इंडिया – नासिक एवं आर के एम)

- ▷ ₹ 4,992 करोड़ की तीन परियोजनाएं (जीएमआर, केएसके, झाबुआ) जहां :
 - इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
 - एच1 बोलीदाता की पहचान हो गई है। डील पूरी करने के लिए ऋणदाता, ऋणकर्ता के साथ मोलभाव करने के अंतिम चरण में है।
 - इन परिसंपत्तियों के निमित्त 47% प्रावधान उपलब्ध हैं।
- ▷ ₹ 3,262 करोड़ की दो परियोजनाएं (इंडियाबुल्स अमरावती एवं एस्सार महान) जहां
 - ओटीएस प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
 - ऋणदाताओं द्वारा ओटीएस प्रस्तावों का अंतिम निर्धारण किया जा रहा है।
 - इन परियोजनाओं के निमित्त 49% प्रावधान उपलब्ध हैं।
- ▷ ₹ 8,156 करोड़ की दो परियोजनाएं अर्थात्
 - रतन इंडिया नासिक – महाराष्ट्र सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी है।
 - आरकेएम पावर जेन- पुनर्गठन के लिए विचार किया जा रहा है।
 - इन परियोजनाओं के निमित्त 41% प्रावधान उपलब्ध हैं।

आज तक की तारीख तक स्थिति अपडेट – दबावग्रस्त परिसंपत्तियां (2/2)

2

परियोजना जो आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी के परिपत्र से तत्काल प्रभावित नहीं हो सकती हैं।

- ▷ ₹ 689 करोड़ की तीन परियोजनाओं पर आरबीआई परिपत्र का तत्काल प्रभाव नहीं हो सकेगा क्योंकि एक्सपोजर ₹ 2,000 करोड़ से कम है।
 - इन परियोजनाओं के निमित्त 37% प्रावधान उपलब्ध हैं।

3

उन परियोजनाओं की स्थिति संबंधी अपडेट जो पहले से एनसीएलटी में हैं।

- ▷ ₹ 8,108 करोड़ की नौ परियोजनाएं पहले ही एनसीएलटी में हैं।
 - इन परियोजनाओं के निमित्त 73% प्रावधान उपलब्ध हैं।

4

उन परियोजनाओं की स्थिति संबंधी अपडेट जो पहले से एसएआरएफईएसआई/डीआरटी में हैं।

- ▷ ₹ 289 करोड़ की चार परियोजनाएं एसएआरएफईएसआई/डीआरटी में हैं।
 - इन परियोजनाओं के निमित्त 100% प्रावधान उपलब्ध हैं।

5.

प्रचालनात्मक
कार्य-निष्पादन

ऋण परिसंपत्तियां - संयोजन

(₹ करोड़ में)

	30.06.2018 तक		30.06.2017 तक	
	राशि	%	राशि	%
सकल ऋण परिसंपत्तियां	2,84,848	100%	252,746	100%
योजना वार				
उत्पादन	2,04,551	72%	1,89,376	75%
पारेषण	19,781	7%	17,577	7%
वितरण	36,284	13%	20,672	8%
अन्य	24,233	9%	25,121	10%
क्षेत्र वार				
राज्य क्षेत्र	1,86,431	65%	1,67,022	66%
केंद्रीय क्षेत्र	21,286	7%	22,744	9%
संयुक्त क्षेत्र	25,449	9%	19,364	8%
निजी क्षेत्र	51,683	18%	43,617	17%

संवितरण - संयोजन

(₹ करोड़ में)

	तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 19		तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 18	
	राशि	%	राशि	%
संवितरण (आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस रहित)	12,981	100%	12,849	100%
योजना वार				
उत्पादन	3,793	29%	5,850	46%
पारेषण	377	3%	947	7%
वितरण	6,218	48%	803	6%
अन्य	2,593	20%	5,249	41%
क्षेत्र वार				
राज्य क्षेत्र	10,305	79%	9,713	76%
केंद्रीय क्षेत्र	437	3%	284	2%
संयुक्त क्षेत्र	1,176	9%	304	2%
निजी क्षेत्र	1,063	8%	2,549	20%
आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस				
आर-एपीडीआरपी (भाग क)	80	7%	45	6%
आर-एपीडीआरपी (भाग ख)	63	5%	8	1%
आईपीडीएस	1,067	88%	671	93%

ऋण प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

ऋण	30.06.2018		30.06.2017	
	राशि	%	राशि	%
बॉण्ड	1,94,135	83%	1,88,799	92%
सावधि ऋण	31,692	14%	7,240	4%
अल्पावधि ऋण	7,591	3%	8,726	4%
कुल	2,33,418	100%	2,04,765	100%
जिसमें से:				
रुपए मूल्य वर्ग	2,12,312	91%	1,96,363	96%
विदेशी मुद्रा ऋण	21,106	9%	8,402	4%

कम लागत निधियों तक पीएफसी की पहुंच

वित्त मंत्रालय द्वारा पीएफसी को 54 इसी पूंजीगत लाभ बॉण्ड मांग करने हेतु आदेश

54 इसी मुख्य विशेषताएं

पात्र निवेशक

व्यक्ति विशेष, एचयूएफ, एनआरआई, एफआई, एलएलपी, साझेदारी, बैंक, म्यूचुअल फंड, इन्श्युरेंस कंपनी, पीएफ फंड

अवधि

अनुमानित (डीमंड) आबटन तारीख से 5 वर्ष

कूपन दर

5.75% प्रतिवर्ष

निवेशक के लिए हितलाभ

पीएफसी के 54ईसी बॉण्डों में निवेश पर 50 लाख तक की पूंजीगत परिसंपत्ति छूट का हस्तांतरण करने पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ

54ईसी बॉण्डों का विवरण <https://kosmic.karvy.com/pfc/> पर उपलब्ध है।


6. शेयरधारकों का दृष्टिकोण

शेयरधारकों का दृष्टिकोण

➔ लाभांश कार्य-निष्पादन

➔ 66% भारत सरकार शेयरधारिता

1 लगातार लाभांश पे-आउट ट्रैक रिकॉर्ड



विवरण	30.06.2018	30.06.2017
भारत के राष्ट्रपति	65.61%*	66.35%
एफआईआई एवं एफपीआई	11.55%	15.65%
भारतीय एफआई एवं बैंक	7.16%	8.39%
निगमित निकाय	1.29%	1.42%
निवासी व्यक्ति	5.42%	3.31%
म्युचुअल फंड	8.03%	4.24%
कार्मिक	0.05%	0.05%
अन्य	0.80%	0.59%
कुल	100%	100%

2 आज तक की तारीख के अनुसार 9% लाभांश लाभ प्रदान करना

*भारत के राष्ट्रपति की जुलाई माह में 65.64% शेयरधारिता है।

धन्यवाद!

कोई सवाल ?

आप पीएफ़सी की निवेशक संपर्क टीम को investorrelations@pfcindia.com पर संपर्क कर सकते हैं।

निवेशक संपर्क टीम :

- ▷ श्री. बी. एस. बिष्ट, महाप्रबंधक
(+91-11- 23456846)
- ▷ सुश्री. जसनीत गुरम, उप महाप्रबंधक
(+91-11- 23456823)

हमसे जुड़े:    @pfclindia  www.pfcindia.com

डिस्क्लेमर

- ▷ यह प्रस्तुतीकरण दिनांक 30.06.2018 को समाप्त तिमाही के लिए पीएफसी के एकल अनंकेक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर तैयार किया गया है।
- ▷ इस प्रस्तुति में ऐसे बयान शामिल हो सकते हैं जो प्रबंधन के वर्तमान विचारों और अनुमानों को प्रतिबिंबित करते हैं और इन्हें आगे दिखने वाले कथन के रूप में समझा जा सकता है। भविष्य में ऐसी अनिश्चितताएं और जोखिम शामिल होते हैं जो वास्तविक परिणामों को भौतिक रूप से अलग-अलग दर्शाने वाले वर्तमान विचारों से भिन्न कर सकते हैं। संभावित अनिश्चितताओं और जोखिमों में सामान्य आर्थिक स्थितियों, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, प्रतिस्पर्धी उत्पाद और मूल्य निर्धारण के दबाव, औद्योगिक संबंध और विनियामक विकास जैसे कारक शामिल हैं।
- ▷ आंकड़े पुनर्मूल्यांकित की गई है/ उन्हें तुलनीय बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया।
- ▷ 'विश्लेषणात्मक डेटा' व्यवसाय की समझ की सुविधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुमान हैं और रिपोर्ट किए गए आंकड़ों का समाधान नहीं किया जाएगा।
- ▷ उत्तर केवल गैर-मूल्य संवेदनशील प्रश्नों के लिए दिए जाएंगे।
- ▷ यह प्रस्तुति केवल सूचना के लिए है और पीएफसी की किसी भी प्रतिभूति को खरीदने या बेचने के लिए प्रस्ताव या सिफारिश नहीं करती है। प्रस्तुति में निहित जानकारी के आधार पर आपके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई केवल आपकी जिम्मेदारी है और पीएफसी या उसके निदेशक या कार्मिक आपके द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे।